## अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES । भर्ती प्रकोष्ठ/ RECRUITMENT CELI

फ.सं./No.F. 2-4/2005- स्था.(भर्ती प्रकोष्ठ)/Estt. (RCT)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029 Ansari Nagar, New Delhi-110029 दिनांक/Dated

## कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

1 6 JUN 2025

विषय:- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में वरिष्ट पर्फुजनीष्ट के पद पर पदोन्नति। Subject:- Promotion to the post of Senior Perfusionist at the AIIMS, New Delhi.

\*\*\*\*\*

दिनांक 29.05.2025 को वरिष्ट पर्फुजनीष्ट के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग की सिफारिश के परिणामस्वरुप एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरांत निम्नलिखित पर्फुजनीष्ट को पदभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ट पर्फुजनीष्ट वेतन पे. मैट्रिक्स के लेवल -7 (पूर्व संशोधित पी.बी.-2, रू. 9300-34800 + ग्रेड पे.रू.4600/-) पर पदोन्नत किया जाता है।

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee for the post of **Senior Perfusionist** held on 29.05.2025 and its acceptance by the Competent Authority, the following **Perfusionist** are promoted to the post of **Senior Perfusionist** in Level-7 of the pay matrix (pre-revised PB-2 Rs. 9300-34800 + Grade Pay of Rs. 4600/-) from the date they assume the charge of the post of **Senior Perfusionist**:-

Sr. No.	Name of Employee	Category	Considered against the category	Department
01.	Ms. Ritu Airan	UR	UR	CTVS
02.	Sh. Byas Kumar Baitha	SC	SC	CTVS

इनकी वरिष्ठता **वरिष्ट पर्फुजनीष्ट** के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग की तिथि अर्थात 29.05,2025 से प्रभावी होगी।

Their seniority in the post of **Senior Perfusionist** will be effective from the date of meeting of Departmental Promotion Committee i.e. 29.05.2025.

वे दिल्ली/नई दिल्ली/एन.सी.आई. झज्जर,बाढसा झज्जर/एन.डी.डी.टी.सी गाजियाबाद और वर्तमान में बल्लबगढ़ में स्थित रूरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के हकदार होंगे।

They will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of their status stationed at Delhi/New Delhi/in the Rural Centre presently located at Ballabhgarh (Haryana)/NDDTC, Ghaziabad/NCI, Jhajjar and Badsa Jhajjar and at any other Centre opened by the Institute in future.

उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे इस पत्र के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ. आर. 22(1) के अंतर्गत पदग्रहण करने की तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तिथि से तय करने का विकल्प चुनें बर्शते उन्हे आंशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आशवस्तित वृत्ति प्रगति योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नति प्रदान नहीं किया गया।

They are advised to exercise their option for fixation of their pay under FR-22 (1) either from the date of their promotion to the post or from the date of drawl of their next increment in the present post within one month from the date of issue of this Office Order, provided they have not been granted financial up gradation under ACP/MACP Scheme.

Cont. on -2-



उनकी सेवाएं वर्तमान में बल्लभगढ़ (हरियाणा) में स्थित ग्रामीण परियोजना, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केन्द्र (गाजियाबाद), एन.सी.आई, बाढसा, झज्जर तथा संस्थान द्वारा भविष्य में खोले जाने वाले किसी अन्य केंद्र में स्थानांतरणीय हैं। उन्हें शिफ्ट में सेवा देने के लिए भी कहा जा सकता हैं।

Their services are transferable to the other centre facilities presently located at Ballabhgarh (Haryana), National Drugs Dependency Treatment Centre (Ghaziabad), National Cancer Institute, Badsa, Jhajjar and at any other centre/facilities which may come up in future. They can be asked to perform duties in shifts also.

वे दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि के दौरान, उनसे संतोषजनक सेवाएं प्रदान करना अपेक्षित है जिसमें असफल रहने पर उनकी सेवाए किसी भी समय बिना नोटिस, दिए अथवाबिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएंगी।

They will be on probation for a period of two years. During the period of probation, they will be required to put in satisfactory services failing which their services can be terminated at any time without any notice or reason being assigned for the same.

यह कार्यालय आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित SLP संख्या 30621/2011 और अन्य जुड़े मामलो के परिणाम या इस सम्बन्ध में DOPT से जारी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

This Office order would be subject to outcome of the SLP No. 30621/2011 and other connecting matter pending before the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

उनकी सेवा की अन्य शर्ते जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू है, पूर्वानुसार ही रहेंगी।

Other terms and condition of their service will be the same as are applicable to other employees of the Institute.

(कमल भट्ट / KAMĂL BHATT) प्रशासनिक अधिकारी / ADMINISTRATIVE OFFICER

संबंधित व्यक्ति/ The persons concerned द्वारा/Thr.:- उनके संबंधित विभागाध्यक्ष

Their concerned Chief of CTVS

## प्रतिलिपिः

- 1. वरिष्ट प्रशासनिक अधिकारी / Senior Administrative Officer CTVS
- 2. स्थापना अनुभाग /Establishment Section (CNC)
- 3. लेखा विभाग / Accounts Section, II/III/CNC
- 4. जी.पी.एफ. / संपदा विभाग/सामान्य विभाग/ ए.सी.आर सेल / GPF Section/General Section/Estate Section/ACR Cell
- 5. एस.सी. /एस.टी विभाग /सतर्कता विभाग /लीगल सेल / SC/ST Cell/Vigilance Cell/Legal Cell
- 6. प्रो. इन्चार्ज- कम्पयूटर विभाग- कृपया इसे संस्थान की वेबसाईट पर अपलॉड करें। Professor In Charge- Computer Facility- kindly upload the same on the Institute website
- 7. डाटा संरक्षण हेतु भर्ती प्रकोष्ठ के संबंधित सहायक Dealing Assistant, Recruitment Cell